

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर 2010—अग्रहायण 4, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक बी-8/40/2010/14-2

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

अधिसूचना

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 13011/02/2008—क्रेडिट II (पीटी) दिनांक 17 सितम्बर, 2010 के द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश तथा तत्पश्चात् पत्र सं. 13011/02/2008—क्रेडिट II (पीटी) दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के द्वारा जारी परिचालन पद्धतियाँ रबी मौसम 2010-11 के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED) / आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चयनित मध्यप्रदेश राज्य के दतिया एवं

श्योपुर जिले में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी वर्ष 2010-11 के लिए निम्न अनुसार अधिसूचित करता है :-

2. म.प्र. राज्य में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2010-11 के लिये जिलों , बीमा इकाई , अधिसूचित फसलों एवं बीमा कम्पनी की सूची निम्नानुसार है :-

तालिका - 1

क्र. सं.	जिले	फसले	बीमा इकाई	कृषक श्रेणी	बीमा कम्पनी
1	दतिया	गेहूँ , चना	ग्राम पंचायत	ऋणी और अऋणी कृषक	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	श्योपुर	गेहूँ , राई-सरसो	ग्राम पंचायत	ऋणी और अऋणी कृषक	आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

जोखिम स्तर के निर्धारण हेतु स्वीकृत प्रक्रिया, श्रेषहोल्ड उपज तथा वास्तविक प्रीमियम दरें का संक्षेप में परिशिष्ट -1 में वर्णित है।

3. अधिसूचित फसलवार जोखिम स्तर, बीमित राशि की सीमाएँ एवं प्रीमियम की दरें परिशिष्ट -2 में है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(पायलेट) के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर क्रियान्वित की जावेगी , अतः यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तरह सेवा शुल्क में छूट-प्राप्त है। पटवारी मुख्यालय/ग्राम पंचायत वार जानकारी परिशिष्ट-3 में है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन रबी 2010-11 में निम्नानुसार किया जाएगा :-

- 4.1. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का निकास :

जिन अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू नहीं रहेगी।

- 4.2. बीमा आवरण के लिए पात्र किसान :

अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी कृषक योजना में कवर किए जाने योग्य हैं।

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के कृषकों को कवर किया जाएगा:

(क) अनिवार्य आधार पर : सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक साख सीमा अनुमोदित है , जो कि ऋणी कृषक हैं ।

ऋण आवेदन में कृषक द्वारा घोषित रकबा अथवा वास्तविक बोया क्षेत्र के आधार पर बैंक शाखा द्वारा बीमा योग्य फसलों का आवरण पृथक-पृथक दर्शाना है।

(ख) ऐच्छिक आधार पर : अधिसूचित फसल उगाने वाले वे सभी कृषक (जो कि अऋणी कृषक) जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं, वे निम्नानुसार हो सकते हैं:

- 1) स्वयं मालिक - जमीन जोतने वाले कृषक।

- 2) ठेके पर खेती के अन्तर्गत सम्मिलित कृषक, प्रत्यक्ष अथवा प्रवर्तक/आयोजक के द्वारा।
- 3) कृषक समूह/खाद कंपनी की सेवा में समितियाँ, कीटनाशक फर्म, फसल उत्पादक संस्थाएँ, स्वयं-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य।
- 4) कारपोरेट फार्म।

4.3 बीमा इकाई

अधिसूचित फसलों हेतु बीमा की इकाई ग्राम पंचायत रहेगी। अधिसूचित फसलों की वर्गवारी तथा बीमा की इकाई तालिका 1 में वर्णित है।

4.4 प्रीमियम अनुदान एवं प्रीमियम अनुदान की हिस्सेदारी

प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। अनिवार्य आवरण अथवा श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक, ऋणी कृषक हेतु जो भी अधिक हो, और श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक अऋणी कृषकों को प्रीमियम में अनुदान दिया जावेगा। वास्तविक प्रीमियम (कुल) तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि के अन्तर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। (फसलवार, क्षेत्रवार ब्योरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।) साथ ही राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को प्रीमियम राशि में अनुदान का हिस्सा अग्रिम तौर पर दिया जावेगा, जो कि मौसम के आरंभ में, जो न्याय-संगत अनुमान के आधार पर होगा।

4.5 बीमित राशि की सीमाएँ तथा आवरण

4.5.1 ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर) :

क) अनिवार्य आवरण : बीमित राशि व्यक्तिगत कृषक जो अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा (हेक्टेयर में)/जैसे ऋण आवेदन में उल्लेखित किया गया तथा अनिवार्य आवरण बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचना के परिशिष्ट -2 में दर्शाएँ अनुसार रहेगी।

ख) अतिरिक्त आवरण : यदि श्रेषहोल्ड उपज मूल्य प्रति हेक्टेयर से अनुमोदित साख सीमा कम है तो कृषक परिशिष्ट -2 के अनुसार अतिरिक्त आवरण जो कि श्रेषहोल्ड उपज के मूल्य तक के अनुसार बीमा कर सकता है। जिस बैंक में कृषक द्वारा अनिवार्य आवरण का बीमा किया गया हो वहाँ अतिरिक्त आवरण हेतु प्रस्ताव पत्र देना होगा। अतिरिक्त आवरण हेतु कृषक द्वारा प्रस्तावित रकबे का उल्लेख करना होगा। ऐसे ऋणी कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथियाँ अऋणी कृषकों की तरह ही रहेगी।

यदि, श्रेषहोल्ड उपज मूल्य प्रति हेक्टेयर से अनिवार्य आवरण की बीमित राशि अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आवरण उपलब्ध नहीं रहेगा (अनुदान के साथ)।

ग) यदि प्रति हेक्टेयर अनिवार्य आवरण बीमित राशि औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत से अधिक हो तो विस्तारित आवरण उपलब्ध नहीं रहेगा।

घ) यदि प्रति हेक्टेयर अनिवार्य आवरण बीमित राशि औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत से कम हो तो औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत और अनिवार्य आवरण बीमित राशि के अन्तर के लिए विस्तारित आवरण उपलब्ध रहेगा।

परिशिष्ट -2 के अनुसार कृषक विस्तारित आवरण ले सकता है किन्तु उन्हें विस्तारित आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबे का उल्लेख करना होगा। अतिरिक्त आवरण लेने वाले ऋणी कृषकों को प्रस्ताव पत्र जमा करने की अंतिम तिथियाँ, अऋणी कृषक हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथियों के अनुसार ही लागू होगी। विस्तारित आवरण के लिए वास्तविक प्रीमियम दरें परिशिष्ट -2 के अनुसार देय होगी।

4.5.2 अऋणी कृषक (ऐच्छिक आधार पर) :

जो कृषक अधिसूचित मौसम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु योजना में सम्मिलित होना चाहते हो और जो ऋणी कृषक के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हो ऐसे कृषक एक प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम राशि के साथ नजदीकी बैंक शाखा अथवा अधिकृत चैनल पार्टनर अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों की माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर बीमा कर सकते हैं, किन्तु उस बैंक में कृषक का खाता होना जरूरी है।

क) साधारण आवरण : परिशिष्ट -2 के अनुसार थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य तक साधारण आवरण माना जावेगा। कृषक द्वारा देय शुद्ध प्रीमियम दर परिशिष्ट -2 के अनुसार रहेगी। साधारण आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा।

ख) विस्तारित आवरण : औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत और थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य के अंतर के लिए विस्तारित आवरण है। इस आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा।

4.6 मौसम अनुशासन

रबी 2010-11 मौसम के अन्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु मौसम अनुशासन (अंतिम तिथियाँ) निम्नानुसार लागू रहेगी :

गतिविधि	अंतिम अवधि/तिथि
अनिवार्य आवरण के अन्तर्गत ऋणी कृषकों के लिए ऋण अवधि (अनुमोदित ऋण)	31 दिसम्बर, 2010 तक
बैंक/समितियों द्वारा अऋणी कृषक के प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर, 2010
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी, 2011
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी, 2011
बीमा कम्पनी द्वारा मध्यस्थों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर, 2010 तक
औसत उपज के आंकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राथमिक तौर पर अंतिम फसल कटाई से एक माह के भीतर।

4.7 आवरण प्रक्रिया

4.7.1 ऋणी कृषक (अनिवार्य बीमा):

वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रयोग हो रही नोडल बैंक पद्धति का प्रयोग संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिये भी किया जायेगा। सभी वणिज्यिक बैंक (निजी बैंकों सहित), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जो कि अधिसूचित मौसम में अधिसूचित फसल के लिये अधिसूचित बीमित इकाई क्षेत्र में फसल ऋण स्वीकृत/वितरित कर रहे हैं वह सभी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बीमा करें।

ऋणी कृषकों के लिये परिचालन पद्धतियां वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार रहेगी। सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से मौसम अनुशासन के अनुसार करेंगी।

सभी फसल ऋण वितरित करने वाली बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिये एक प्रीमियम रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें कृषक का नाम, फसल ऋण खाता संख्या, फसलवार बीमित क्षेत्र, फसलवार अनिवार्य बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का उल्लेख करेंगे।

बैंक शाखा बीमा के लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये कृषक द्वारा ऋण आवेदन पत्र में घोषित रकबा अथवा कृषक द्वारा वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल का प्रयोग किया जायेगा।

वह ऋणी कृषक जो अनिवार्य बीमित राशि से अधिक का बीमा आवरण चाहते हैं, ऐसे कृषकों के लिये बैंक द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर में फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं अतिरिक्त आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि तथा फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं विस्तरित बीमा आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि का अलग से उल्लेख किया जायेगा।

बैंक शाखा द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर के आधार पर बैंक शाखा उस माह में स्वीकृत फसल ऋण का एक मासिक संघटित व्यौरा तैयार करेंगी जिसमें फसलवार, बीमित इकाईवार फसल बीमा की जानकारी, बीमा प्रीमियम राशि के साथ अपने नोडल बैंक कार्यालय को 15 दिनों के भीतर भेज देंगे।

बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बीमा प्रीमियम कंपोनेंट जो कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा प्रीमियम भुगतान हेतु आवश्यक है, कृषक को स्वीकृत ऋण सीमा से अतिरिक्त ऋण वितरण करेंगे।

ऐसे फसल ऋण जो कि सोना/आभूषण के बदले में लिये गये हैं, अधिसूचित क्षेत्र व फसल के लिये है, तथा मौसम अनुशासन का पालन करते हैं, वह भी योजनान्तर्गत अनिवार्य बीमा आवरण के लिये पात्र हैं।

ऋणी कृषक के लिये बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिये रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना के परिशिष्ट- 2 में दर्शायी गई अनिवार्य बीमित राशि के गुणांक के बराबर होगी।

नोडल बैंक कार्यालय बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी को माहवार, अधिसूचित क्षेत्रवार, फसलवार, घोषणा-पत्र तैयार कर बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि के बैंक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अधिसूचना में घोषित फसलों एवं मौसम की अंतिम तिथियों के अनुरूप ऋणी कृषकों के घोषणा-पत्र प्रेषित करेंगे।

अतिरिक्त/विस्तारित आवरण वाले घोषणा-पत्रों को अधिसूचना के अनुसार घोषित अऋणी कृषकों की अंतिम तिथियों के भीतर ही बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

4.7.2 अऋणी कृषकों के लिये आवरण प्रक्रिया :

1. अऋणी कृषक का अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक/वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।
2. अऋणी कृषक द्वारा पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव-पत्र, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं अपेक्षित प्रीमियम राशि बैंक में जमा करनी होगी। अऋणी कृषक को बीमित फसल का उगाई प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3. अऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा बैंकों के अलावा बीमा मध्यस्थ एवं बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट से करा सकते हैं।

4.8 क्षतिपूर्ति के निर्धारण की विभिन्न पद्धतियां :

बीमित फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पद्धतियों के आधार पर किया जायेगा जो कि योजना की परिचालन पद्धतियों (Operational Guidelines) के अनुरूप हैं।

- 4.8.1. फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित) : फसल कटाई के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर। गंभीर आपदा होने पर 25 प्रतिशत तक की संभावित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है।
- 4.8.2 .बुवाई नही हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/ Sowing Failure) (क्षेत्र आधारित): यदि प्रदेश/एस.एल.सी.सी.आई. (प्राथमिक मौसम संकेतको के अनुमान, क्षेत्र गणना, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर) यह निर्णय लेती हैं कि बीमित इकाई के अधिकांश क्षेत्र में बुआई नहीं हो सकी या बुआई नष्ट हो गई तो ऐसी स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान किया

जायेगा। यदि इस आपदा के लिये क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है, तो तत्पश्चात् बीमा आवरण उस फसल हेतु आगे के मौसम के लिये समाप्त माना जायेगा।

यदि मौसम के दौरान लगभग पूर्ण क्षतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, (किसी स्तर पर फसल चक्र की सम्पूर्ण लागत मूल्य को वहन नहीं किया गया हो) तो क्षतिपूर्ति का भुगतान 'graded scale' के आधार पर किया जायेगा।

चालू मौसम के दौरान क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकता है यदि प्राथमिक मौसम संकेतकों से यह सिद्ध हो जाता है कि फसल की अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से भी कम होगी।

4.8.3.स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन : स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि एवं भूस्खलन के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति संबंधी आंकलन किया जायेगा इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/कार्यान्वयक एजेन्सी के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहितसूचित करेंगे। हानि संबंधी सूचना मिलने पर कार्यान्वयक एजेन्सी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये क्षेत्र में हानि निर्धारक/Technical Personnel of the Company, को भेजेगी। ग्राम पंचायत में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक एजेन्सी की सहायता करेगा।

4.9 बैंकों के लिये सेवा शुल्क


नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 2.50 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

4.10 विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका

विभिन्न एजेन्सियों जैसे राज्य शासन, नोडल बैंक, बीमा कंपनी एवं कृषकों की भूमिका एवं दायित्वों का विवरण भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन पद्धतियों में दिया गया है। आई.सी.आई.सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंकों के माध्यम से करना होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डॉ०एच.बी.एस. भदौरिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS): क्षतिपूर्ति स्तर की गणना, श्रेषहोल्ड उपज एवं वास्तविक प्रीमियम दर की गणना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी।

1). क्षतिपूर्ति स्तर

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये जोखिम के तीन स्तर 70, 80 एवं 90 प्रतिशत हैं जो कि उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम को दर्शाते हैं। योजना के अन्तर्गत सुधारित विशेषताएं तथा बीमांकक द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर क्षतिपूर्ति स्तर हानि मूल्य (कुल क्षतिपूर्ति जो कुल बीमित राशि का प्रतिशत है) का आंकलन किया जायेगा। जोखिम स्तर का निर्धारण जिले की फसल क्षतिपूर्ति मूल्य की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर, अगर ऐसा है तो, होगा।

2). श्रेषहोल्ड उपज

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में यह प्रावधान है कि किसी फसल के लिये श्रेषहोल्ड उपज या गारन्टीड उपज पिछले सात वर्षों की औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर, जिनमें से अधिकतम दो वर्ष जहां पर सरकार/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई हो, को छोड़कर क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा कर निकाली जाएगी। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम पिछले पांच वर्षों के उपज के आंकड़ें श्रेषहोल्ड उपज की गणना के लिये उपलब्ध हो। संशोधित रा.कृ.बी.यो. में यह प्रावधान है कि मुख्य फसलों के लिये बीमा इकाई गांव/ग्राम पंचायत होगी। हालांकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां गांव/ग्राम पंचायत स्तर के विगत वर्षों के उपज के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रेषहोल्ड उपज की गणना के लिए उच्च बीमा इकाई अथवा उच्च बीमा इकाई एवं गांव/ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ों का संयुक्त औसत जहाँपर गांव/ग्राम पंचायत स्तर के कुछ वर्षों के आंकड़ें उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अनुसार उपज प्राप्त होने पर श्रेषहोल्ड उपज की गणना जोखिम स्तर से गुणा कर की जावेगी।

3). **वास्तविक प्रीमियम दर** : संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्रीमियम दर की गणना 'अनुभव मूल्यांकन' तथा विगत 10 वर्षों के क्षतिपूर्ति अनुभव के आधार, यदि ऐसा होने पर, की जावेगी। शुद्ध प्रीमियम दर की गणना योजनान्तर्गत विभिन्न अतिरिक्त लाभ के अलावा क्षतिपूर्ति अनुभव, यदि ऐसा होने पर, का समायोजन करते हुए की जावेगी एवं कारोबार व्यय, वित्तीय लागत, पुनर्बीमा आदि पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए वास्तविक एवं वाणिज्यिक प्रीमियम दर की गणना की गई है।

परिशिष्ट:2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – दतिया, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	80	16269	3.05 %	14223	6.10	30492
चना	80	13306	3.00 %	11642	6.00	24948

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – भांडेर, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	80	20427	3.05 %	17870	6.10	38297
चना	80	12584	3.00 %	11018	6.00	23602

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट:2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – सेवदा, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	80	18194	3.05 %	15928	6.10	34122
चना	80	11898	3.00 %	10410	6.00	22308

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर –तहसील– इन्दरगढ़, जिला दतिया

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	80	18194	3.05 %	15928	6.10	34122
चना	80	11898	3.00 %	10410	6.00	22308

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट: 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – विजयपुर, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	70	15000	3.875 %	7500	7.75	22500
राई-सरसों	80	15200	3.25 %	7600	6.50	22800

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – वीरपुर, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	70	15000	3.875 %	7500	7.75	22500
राई-सरसों	80	15200	3.25 %	7600	6.50	22800

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट: 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – श्योपुर, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	70	25000	3.875 %	12500	7.75	37500
राई-सरसों	80	20200	3.25 %	10100	6.50	30300

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – बडौदा, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण						
DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	70	25000	3.875 %	12500	7.75	37500
राई-सरसों	80	20200	3.25 %	10100	6.50	30300

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

परिशिष्ट: 2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) – रबी 2010-11

क्रियान्वयन एजन्सी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

तहसील स्तर – बीमित राशि एवं प्रीमियम दर – तहसील – कराहल, जिला श्योपुर

क्षतिपूर्ति स्तर, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर का विवरण DETAIL OF INDEMNITY LEVEL, SUM INSURED AND PREMIUM RATES						
अधिसूचित फसल Notified Crop	क्षतिपूर्ति स्तर % Level of Indemnity %	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond Threshold Yield and upto 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की सीमा (रु.) Total Sum Insured per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Normal Premium Rate (in %)	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में) Actuarial Premium Rate (in %)	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ सिंचित	70	21200	3.875 %	10600	7.75	31800
राई-सरसों	80	17400	3.25 %	8700	6.50	17400

टीप : ऋणी कृषकों के लिए पूर्ण वितरित ऋण राशि पर निश्चित प्रीमियम दर पर ही प्रीमियम लिया जाएगा।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार ग्राम पंचायतों की सूची

जिला दतिया

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
1	2	3	5	6	7	9
दतिया	वरगांय	1	गोरा	गे0सि0	—	—
		2	पचोखरा	गे0सि0	—	—
		3	बड़ोनकला	गे0सि0	—	चना
		4	डंगरा	—	—	—
		5	हिनोतिया	—	—	—
		6	हिड़ोरा	गे0सि0	—	—
		7	घूघसी	गे0सि0	—	—
		8	औरीना	—	—	—
		9	सिजौरा	—	—	—
		10	कुरथरा	—	—	चना
		11	एरई	गे0सि0	—	चना
		12	रावरी	गे0सि0	—	—
		13	वरगांय	गे0सि0	—	—
		14	वामरोल	गे0सि0	—	चना
		15	उपरांय	गे0सि0	—	—
	बड़ोनीखुर्द	16	बड़ेरा	गे0सि0	—	—
		17	बहरुका	गे0सि0	—	—
		18	वानोली	गे0सि0	—	—
		19	डोगरपुर	गे0सि0	—	चना
		20	बुधेड़ा	गे0सि0	—	—
		21	गड़ी	गे0सि0	—	—
		22	सीतापुर	गे0सि0	—	—
		23	मुरेरा	—	—	—
		24	महेवा	—	—	—
		25	सिनावल	—	—	—
		26	भदुमरा	—	—	—
		27	जौनहार	गे0सि0	—	—
		29	रिछारी	गे0सि0	—	—
		30	सेवनी	—	—	—
		31	रामसागर	—	—	—
	उदगुवां	32	जिगना	गे0सि0	—	चना

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		33	सतारी	गे०सि०	—	चना
		34	छता	गे०सि०	—	चना
		35	हतलई	गे०सि०	—	चना
		36	पठारी	गे०सि०	—	चना
		37	सलैयापवार	गे०सि०	—	चना
		38	पलोथर	गे०सि०	—	—
		39	उदगुवां	गे०सि०	—	चना
		40	नौनेर	गे०सि०	—	चना
		41	विलोनी	गे०सि०	—	चना
		42	खदरावनी	गे०सि०	—	चना
		43	राजपुर	गे०सि०	—	चना
		44	सनौरा	गे०सि०	—	चना
		45	गरैरा	गे०सि०	—	—
		46	नुनवाहा	गे०सि०	—	—
		47	खमैरा	गे०सि०	—	चना
		48	भागौर	गे०सि०	—	—
	दतिया	49	दुर्गापुर	गे०सि०	—	—
		50	अगोरा	गे०सि०	—	—
		51	गंधारी	गे०सि०	—	—
		52	चितुआ	गे०सि०	—	—
		53	वाजनी	गे०सि०	—	—
		54	निचरौली	गे०सि०	—	—
		55	दतिया गिर्द	गे०सि०	—	—
		56	सिरौल	गे०सि०	—	—
		57	कुम्हेड़ी	गे०सि०	—	चना
		58	लेतरा	गे०सि०	—	—
		59	सेमई	गे०सि०	—	—
		60	अकोला	गे०सि०	—	—
		61	नयागांव	गे०सि०	—	—
		62	चिरोली	गे०सि०	—	चना
		63	सिदवारी	गे०सि०	—	चना
	राजापुर	64	झड़िया	गे०सि०	—	—
		66	रेड़ा	गे०सि०	—	चना
		67	बहादुरपुर	गे०सि०	—	चना
		68	राधापुर	गे०सि०	—	—
		69	भिटौरा	गे०सि०	—	—
		70	बिड़निया	गे०सि०	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		73	राजापुर	गे०सि०	—	चना
		74	इकारा	गे०सि०	—	—
		75	धवारी	गे०सि०	—	चना
		76	पठरा	गे०सि०	—	चना
		77	भदेवरा	गे०सि०	—	—
		78	गुलमई	गे०सि०	—	—
	इमलिया	79	सड़वारा	गे०सि०	—	चना
		80	इमलिया	गे०सि०	—	चना
		81	बीकर	गे०सि०	—	—
		82	करखड़ा	गे०सि०	—	—
		83	खिरियाघोघू	गे०सि०	—	—
		84	चरवरा	गे०सि०	—	चना
		85	बुहारा	गे०सि०	—	—
		86	कुरेठा	गे०सि०	—	—
		87	नदाई	गे०सि०	—	—
		88	गुड़ा	गे०सि०	—	—
		89	सुजेड़	गे०सि०	—	—
		90	दिसवार	गे०सि०	—	चना
		91	वसवाहा	गे०सि०	—	चना
		92	दुरसड़ा	गे०सि०	—	चना
		93	दरयापुर	गे०सि०	—	—
	उनाव	94	सासूती	गे०सि०	—	—
		95	कूसौली	गे०सि०	—	—
		96	देवरा	गे०सि०	—	—
		97	रिछार	गे०सि०	—	—
		98	सिमरिया	गे०सि०	—	—
		99	कामद	गे०सि०	—	—
		100	तरगुवां	गे०सि०	—	—
		101	उनाव	गे०सि०	—	—
		102	गुजर्रा	गे०सि०	—	—
		103	परासरी	गे०सि०	—	—
		104	ललउआ	गे०सि०	—	—
		105	सेरसा	गे०सि०	—	—
		106	तगा	गे०सि०	—	—
		107	चिरूला	गे०सि०	—	—
		108	करारी	गे०सि०	—	—
	बसई	109	कमरारी	गे०सि०	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय/ पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		110	जौहरया	गे०सि०	—	—
		111	कटीली	गे०सि०	—	—
		112	हतलव	गे०सि०	—	—
		113	जैतपुर	—	—	—
		114	सतलौन	गे०सि०	—	—
		115	साकुली	गे०सि०	—	—
		116	वरधुआ	गे०सि०	—	—
		117	नयाखेड़ा	गे०सि०	—	—
		118	उर्दना	गे०सि०	—	—
		119	मुड़रा	गे०सि०	—	—
		120	मकड़ारी	गे०सि०	—	—
		121	ठकुरपुरा	गे०सि०	—	—
		122	लखनपुर	गे०सि०	—	—
		123	बसई	गे०सि०	—	—
भाण्डेर	गोदन	1	सेथरी	गे०सि०	—	—
		2	आसुली	गे०सि०	—	—
		3	पोरसा	गे०सि०	—	—
		4	जोरी	गे०सि०	—	—
		5	उड़ी	गे०सि०	—	—
		6	महादुआ	गे०सि०	—	—
		7	राखरा	गे०सि०	—	—
		8	पुरादबोह	गे०सि०	—	—
		9	तालगांव	गे०सि०	—	चना
		10	शयोरा	गे०सि०	—	—
		11	नौगुवा	गे०सि०	—	—
		12	अहरौनी	गे०सि०	—	—
		13	रिछौरा	गे०सि०	—	—
		14	भलका	गे०सि०	—	—
		15	गौदन	गे०सि०	—	चना
		16	सोड़ा	गे०सि०	—	चना
		17	मैथानापाली	गे०सि०	—	चना
		18	तैड़ोत	गे०सि०	—	चना
	पण्डोखर	19	कमलापुरी	गे०सि०	—	चना
		20	खिरियाफैजुल्ला	गे०सि०	—	चना
		21	इमलिया	गे०सि०	—	चना
		22	भिटारी	—	—	—
		23	उड़ीना	गे०सि०	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय/ पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		24	बरका	—	—	—
		25	तैतना	गे०सि०	—	चना
		26	धनपीपरी	गे०सि०	—	चना
		27	सालौन-बी	गे०सि०	—	चना
		28	पण्डोखर	गे०सि०	—	चना
		29	ढौड़	गे०सि०	—	—
		30	सोहन	गे०सि०	—	—
		31	चांदनी	गे०सि०	—	—
		32	रामनेर	गे०सि०	—	चना
		33	खिरियाआलम	गे०सि०	—	चना
		34	विडवा	गे०सि०	—	—
	बड़ेरा सोपान	35	विल्हेटी	गे०सि०	—	चना
		36	टौरी	गे०सि०	—	चना
		37	मैथाना पहूज	गे०सि०	—	चना
		38	सदका	गे०सि०	—	चना
		39	लहार हवेली	गे०सि०	—	—
		40	धनौटी	गे०सि०	—	चना
		41	बड़ेरा सोपान	गे०सि०	—	चना
		42	बीसलपुर	गे०सि०	—	चना
		43	कुतौली	गे०सि०	—	चना
		44	सुनारी	गे०सि०	—	चना
		45	सिंगपुरा	गे०सि०	—	—
		46	सोपता	गे०सि०	—	चना
		47	धरमपुरा	गे०सि०	—	—
		48	बरचौली	गे०सि०	—	चना
		49	चद्रौल	गे०सि०	—	चना
		50	तिगराकला	गे०सि०	—	—
		51	बागपुरा	गे०सि०	—	चना
		52	माधौपुरा	गे०सि०	—	चना
	भाण्डेर	53	अजीतपुरा	गे०सि०	—	चना
		54	बराना	गे०सि०	—	चना
		55	बेरछ	गे०सि०	—	चना
		56	भाण्डेर	—	—	—
		57	ततारपुर	गे०सि०	—	चना
		58	भरौली	गे०सि०	—	चना
		59	सालौन-ए	गे०सि०	—	चना
		60	दलपतपुर	गे०सि०	—	चना

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय/ पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		61	खिरियासाहव	गे०सि०	—	चना
		62	कुलरिया	—	—	—
		63	पिपरैआकला	गे०सि०	—	चना
		64	प्यावल	—	—	—
		65	सरसई	गे०सि०	—	चना
		66	असटौट	गे०सि०	—	चना
		67	मुस्तरा	गे०सि०	—	चना
		68	सलेतरा	—	—	—
		69	विछौदना	गे०सि०	—	चना
सेवड़ा	मगरौल	1	रूहेरा	गे०सि०	—	—
		2	नीमडांड़ा	गे०सि०	—	—
		3	कसेरुआ	गे०सि०	—	चना
		4	मेवली	गे०सि०	—	—
		5	विजौरा	—	—	—
		6	गुमानपुरा	—	—	—
		7	मगरौल	गे०सि०	—	—
		8	ग्यारा	गे०सि०	—	—
		9	वधावली	—	—	—
		10	डिरौलीपार	गे०सि०	—	—
		11	खमरौली	—	—	—
		12	विसोर	गे०सि०	—	—
	सेवड़ा	13	सेवड़ा	गे०सि०	—	—
		14	दरयापुर	गे०सि०	—	—
		15	नेहला	गे०सि०	—	—
		16	हेतमपुरा	गे०सि०	—	—
		17	सिरसा	गे०सि०	—	—
		18	ईटौदा	गे०सि०	—	—
		19	देभई	गे०सि०	—	—
		20	देवपुरा	गे०सि०	—	—
		21	दावनी	गे०सि०	—	—
		22	बस्तूरी	गे०सि०	—	—
		23	बेरछा	गे०सि०	—	—
		24	अतरेटा	गे०सि०	—	—
		25	मरसैनी खुर्द	गे०सि०	—	—
		26	खंजापुरा	गे०सि०	—	—
		27	अटरा	गे०सि०	—	—
		28	जसावली	गे०सि०	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
	थरेट	29	मोहनपुरा	गे०सि०	—	—
		30	परसौदा वामन	गे०सि०	—	—
		31	बड़ोखरी	गे०सि०	—	—
		32	मलियापुरा	गे०सि०	—	—
		33	भगुवापुरा	गे०सि०	—	—
		34	रामपुराखुर्द	गे०सि०	—	—
		35	मरसैनीवुजुर्ग	गे०सि०	—	—
		36	चीना	गे०सि०	—	—
		37	रूवाहा	गे०सि०	—	—
		38	टौड़ापहाड़	गे०सि०	—	—
		39	थरेट	गे०सि०	—	चना
		40	दिगुवा	गे०सि०	—	—
		41	ईगुई	गे०सि०	—	—
		42	भोवईबुजुर्ग	गे०सि०	—	—
		43	महरौली	गे०सि०	—	—
		44	परसौदागुजर	गे०सि०	—	—
		45	खैरीदेवता	गे०सि०	—	—
	कुदारी	46	खैरोना	गे०सि०	—	—
		47	कुदारी	गे०सि०	—	—
		48	सेगुवा	गे०सि०	—	—
		49	कंजोली	गे०सि०	—	—
		50	चकवैना	गे०सि०	—	चना
		51	जौनिया	गे०सि०	—	चना
		52	कुलैथ	गे०सि०	—	चना
		53	खैरोनाघाट	गे०सि०	—	—
		54	विलासपुर	गे०सि०	—	—
		55	पचोखरा	गे०सि०	—	—
		56	वरगुवा	गे०सि०	—	—
		57	दोहर	गे०सि०	—	—
		58	पिपरूआ	गे०सि०	—	—
		59	लेहराकला	गे०सि०	—	—
		60	सिकरी	गे०सि०	—	—
		61	देलुआ	गे०सि०	—	—
		62	ररूआजीवन	गे०सि०	—	—
	इन्दरगढ़	63	पड़री	गे०सि०	—	—
		64	मोहनाजाट	गे०सि०	—	—
		65	दभेरा	गे०सि०	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
		66	इन्दरगढ़	गे0सि0	—	—
		67	खड्डआ	गे0सि0	—	—
		68	लॉच	गे0सि0	—	—
		69	तिगरू	गे0सि0	—	चना
		70	रमगढ़ा	गे0सि0	—	—
		71	भड़ौल	गे0सि0	—	—
		72	रमदेवा	गे0सि0	—	—
		73	जिगिनिया	गे0सि0	—	—
		74	भरौली	गे0सि0	—	चना
		75	वरजोरपुरा	गे0सि0	—	चना
		76	उचाड़	गे0सि0	—	—
		77	भरसुला	गे0सि0	—	—
		78	सिलौरी	गे0सि0	—	चना
	धीरपुरा	79	भदौना	गे0सि0	—	—
		80	सुनारी	गे0सि0	—	—
		81	खजूरी	गे0सि0	—	—
		82	जुझारपुर	गे0सि0	—	चना
		83	धीरपुरा	गे0सि0	—	चना
			मोहना	—	—	—
			सुन्दरपुरा	—	—	—
		84	इकौना	गे0सि0	—	चना
			थैली	—	—	—
		85	तिगरा	—	—	—
			ररुआराय	गे0सि0	—	—
		86	छिकाऊ	गे0सि0	—	—
			जैतपुरा	—	—	—
		87	देगुवागुजर	गे0सि0	—	चना
			खाईखेड़ा	—	—	—
			धनौली	—	—	—
			चक धनौली	—	—	—
			चक ऊचियां	—	—	—
		88	उचियां	गे0सि0	—	चना
		89	कटापुर	गे0सि0	—	—
			सिमथरा	—	—	—
			वहेरा	—	—	—
		90	मुरगुवां	गे0सि0	—	चना
		91	लोधीपुरा	गे0सि0	—	—

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय/ पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना
			रानीपुरा	—	—	—
		92	वागपुरा	गे0सि0	—	चना
			वागपुरा	—	—	—
			पीपरी	—	—	—
		93	वागुर्दन फिरोज	गे0सि0	—	चना
			वागुर्दनसिद्धो	—	—	—

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार ग्राम पंचायतों की सूची

जिला श्योपुर

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	राई सरसों
1	2	3	5	6	7	9
श्योपुर	मानपुर	1	खिरखिरी	-	-	-
-"-	-"-	2	ढोढर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	3	हांसीलपुर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	4	बगदीया	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	5	धीरोली	-	-	राई सरसों
-"-	-"-	6	सेमल्दा	-	-	राई सरसों
-"-	-"-	7	लाडपुरा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	8	का पीपुर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	9	मानपुर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	10	जैनी	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	11	सेवापुर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	12	जवासा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	13	तलावदा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	14	दांतरदाकलां	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	प्रेमसर	15	लहचौडा	-	-	-
-"-	मानपुर	16	जावदे वर	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	17	भहरावदा	-	-	-
-"-	-"-	18	मेवाडा	-	-	राई सरसों
-"-	-"-	19	चकबमूल्या	-	-	-
-"-	-"-	20	किंकरपुर	-	-	राई सरसों
-"-	-"-	21	गुरुनावदा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	22	ददूनी	-	-	-
-"-	-"-	23	बगडुआ	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	प्रेमसर	24	बनवाडा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	25	बडौदाराम	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	26	दलारनाकलां	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	27	माखनाखेडली	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	28	सोठवा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	-"-	29	नागरगांवडा	गेहूँ सिंचित	-	राई सरसों
-"-	श्योपुर	30	सोईकलां	गेहूँ सिंचित	-	राईसरसों
-"-	-"-	31	ज्वालापुर	गेहूँ सिंचित	-	राईसरसों
-"-	-"-	32	नन्दापुर	गेहूँ सिंचित	-	राईसरसों
-"-	-"-	33	बर्धाबुजुर्ग	गेहूँ सिंचित	-	राईसरसों
-"-	-"-	34	ढेगदा	-	-	राईसरसों
-"-	-"-	35	बगबाज	गेहूँ सिंचित	-	राईसरसों
-"-	-"-	36	भयोपुर	-	-	-

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेंहू सिंचित	गेंहू असिंचित	राई सरसों
--	--	37	कलारना	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	38	रायपुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	39	नागदा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	40	नगदी	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	प्रेमसर	41	तिल्लीपुर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	42	गोहेडा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	43	कवरसली	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	44	आसीदा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	45	प्रेमसर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	46	अडवाड	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	47	पानडी	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	48	जलालपुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	49	आमल्दा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	50	ननावद	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	51	दुबडी	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	52	छोटाखेडा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	53	विजरपुर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	श्योपुर	54	तुलसेफ	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	55	रामगांवडी	--	--	राई सरसों
--	--	56	कुडहवेली	--	--	--
--	--	57	कनापुर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	प्रेमसर	58	पच्चीपुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	59	ढोटी	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	श्योपुर	60	जेदा	--	--	राई सरसों
--	--	61	मिठेपुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	62	सेमल्दाहवेली	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	63	अजापुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	64	हलगांवडाबुजुर्ग	गेंहू सिंचित	--	--
--	--	65	जानपुरा	गेंहू सिंचित	--	--
--	--	66	मयापुर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	67	फतेहपुर	गेंहू सिंचित	--	--
बडौदा	पाण्डोला	1	बाजरली	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	2	पनवाड	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	3	बहडावद	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	4	कुहजापुर	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	5	बांसोद	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	6	अलापुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	7	उतनवाड	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	8	हिरनीखेडा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	9	नारायणपुरा	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	10	लुहाड	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	11	गलमान्या	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों
--	--	12	पाण्डोली	गेंहू सिंचित	--	राई सरसों

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	राई सरसों
--	--	13	पाण्डोला	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	14	लूड	--	--	--
--	--	15	फिलोजपुरा	--	--	--
--	--	16	तलावडा	--	--	--
--	--	17	ढोढपुर	--	--	--
--	--	18	नयागांव(ढोढपुर)	--	--	--
--	--	19	राडेप	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	20	मेखडाहेडी	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	बडौदा	21	बावडीचापा	--	--	--
--	--	22	सलमान्या	--	--	--
--	--	23	सिरसौद	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	24	बडौदा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	25	इन्द्रपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	26	प्रेमपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	27	ललितपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	28	उद्यौतपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	29	राधापुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	30	कुडायथा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	31	मकडावदाकलां	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	32	बोरदादेह	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	33	भिलवाडियां	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	34	माहाराजपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	35	रतोदन	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	36	बागल्दा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	37	हलगांवडाखुर्द	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	38	नयागांवतेखण्ड	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	39	सुवकरा	--	--	--
कराहल	गोरस	1	हिरापुर	--	--	राई सरसों
--	--	2	झरेर	--	--	--
--	--	3	बुढेरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	4	ढोब	--	--	--
--	--	5	गढला	--	--	राई सरसों
--	--	6	चितारा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	7	मदनपुर	--	--	राई सरसों
--	--	8	बरगवां	--	--	राई सरसों
--	--	9	जाखदा	--	--	राई सरसों
--	--	10	गोठरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	11	पिपरानी	--	--	--
--	--	12	भेला	--	--	राई सरसों
--	--	13	कलमीककरधा	--	--	--
--	--	14	कैलोर	--	--	राई सरसों
--	--	15	बन्धाली	गेहूँ सिंचित	--	--
--	पहैला	16	आवदा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	17	सरजूपुरा	--	--	--

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	राई सरसों
--	--	18	मालीपुरा	गेहूँ सिंचित	--	--
--	गोरस	19	रीछी	--	--	--
--	--	20	गोरस	--	--	--
--	कराहल	21	सिलपुरी	--	--	राई सरसों
--	--	22	पतवाडा	--	--	राई सरसों
--	--	23	लहरोनी	--	--	राई सरसों
--	--	24	मोरावन	--	--	राई सरसों
--	--	25	बासेड	--	--	राई सरसों
--	--	26	सैसईपुरा	--	--	राई सरसों
--	--	27	मेहरवानी	--	--	--
--	--	28	निमानिया	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	29	खिरखिरी	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	30	बाढ	--	--	राई सरसों
--	--	31	रानीपुरा	--	--	--
--	--	32	कराहल	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	33	पनवाडा	--	--	राई सरसों
--	पहैला	34	पहैला	--	--	राई सरसों
--	--	35	वर्धाखुर्द	--	--	राई सरसों
--	--	36	बुखारी	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	37	सुसवाडा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	38	झिरन्या	--	--	--
--	--	39	लुहाडी	--	--	--
--	--	40	करीयादेह	--	--	--
--	--	41	चकरामपुरा	--	--	--
विजयपुर	अगरा	1	महटोनी	--	--	राई सरसों
--	--	2	अरौंद	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	3	चेटीखेडा	--	--	राई सरसों
--	--	4	अगरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	5	उमरीकलां	--	--	राई सरसों
--	--	6	कदवई	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	7	मगरदेह	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	8	बैचाई	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	9	पिपरवास	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	10	धामिनी	--	--	राई सरसों
--	गसवानी	11	बडौदाकलां	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	अगरा	12	बेनीपुरा	गेहूँ सिंचित	--	--
--	विजयपुर	13	आरोदा	गेहूँ सिंचित	--	--
--	अगरा	14	पार्वतीबडोदा	--	--	--
--	--	15	इकलोद	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	विजयपुर	16	हुल्लपुर	--	--	--
--	--	17	गढी	--	--	--
--	--	18	उपचा	--	--	--
--	--	19	मडा	--	--	--
--	--	20	खितरपाल	--	--	--
--	--	21	लाडपुरा	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय / पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेंहू सिंचित	गेंहू असिंचित	राई सरसों
--	--	22	मेदावली	-	-	-
--	--	23	विजयपुर	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	24	सुनवाई	-	-	-
--	--	25	बांगरोद	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	26	रनावद	-	-	-
--	--	27	गोधरा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	28	बरदुला	-	-	-
--	--	29	दोई	गेंहू सिंचित	-	-
--	--	30	विचपुरी	-	-	-
--	--	31	मेवरा	गेंहू सिंचित	-	-
--	--	32	काठोद	-	-	राई सरसों
--	--	33	पचनया	-	-	-
--	--	34	गोहटा	-	-	राई सरसों
--	--	35	गांवडी	-	-	राई सरसों
--	--	36	गोवर	-	-	-
--	--	37	दाउदपुर	-	-	राई सरसों
--	--	38	गोपालपुर	-	-	-
--	गसवानी	39	सिमरई	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	40	सारंगपुर	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	41	धिमलवानी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	42	खुरजान	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	43	बुढेरा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	44	सहसराम	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	45	फरारा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	46	गसवानी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	47	किजरी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	48	नहरखेडा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
वीरपुर	रघुनाथपुर	1	दातेटी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	2	बलावनी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	3	टर्खाखुई	-	-	राई सरसों
--	--	4	धनायवा	-	-	राई सरसों
--	--	5	टर्काला	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	6	किन्नपुरा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	7	सुठारा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	8	अरौदरी	-	-	राई सरसों
--	--	9	सुमरेरा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	10	हिरापुरा	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	11	नीमघ	-	-	राई सरसों
--	वीरपुर	12	रीझेटा	-	-	राई सरसों
--	--	13	बरोली	-	-	राई सरसों
--	रघुनाथपुर	14	रघुनाथपुर	-	-	राई सरसों
--	वीरपुर	15	धौरीबावडी	गेंहू सिंचित	-	राई सरसों
--	--	16	जमूदी	-	-	राई सरसों
--	--	17	नदीगांव	-	-	राई सरसों
--	--	18	घूघस	-	-	राई सरसों

तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय/ पंचायत का नाम	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची		
				मौसम रबी		
				गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	राई सरसों
--	--	19	गोहर	--	--	राई सरसों
--	--	20	जिमरछा	--	--	--
--	--	21	नितनवास	--	--	--
--	--	22	पांचो	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	--	23	भयारदा	--	--	--
--	--	24	बडागांव	--	--	राई सरसों
--	--	25	वीरपुर	--	--	--
--	--	26	जाखेर	--	--	राई सरसों
--	--	27	भयामपुर	गेहूँ सिंचित	--	राई सरसों
--	रघुनाथपुर	28	मोरेका	--	--	--
--	--	29	पुरा	--	--	राई सरसों
--	--	30	ओछा	--	--	राई सरसों